

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुक्म की तारीख
में जारी हुआ

4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी - श्री दिनेश कुमार भीणा आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 105/2023

दायर दिनांक 22.08.2023

उनवान

1. गुड्डीबाई पुत्री अमरा जाति भील नि. आजमपुर तहशील रायपुर

- वादीया

बनाम

1. कलावती पुत्री नन्दा पत्नी द्वारकीलाल जाति भील नि. आजमपुर हाल नि. गरवाडा
2. बदामबाई पत्नी स्व.नन्दा जाति भील निवासी आजमपुर
3. बबलू पुत्र श्याम संरक्षक सरपरस्त माता संतोषबाई जाति भील नि. आजमपुर
4. मुकेश पुत्र नन्दा जाति भील निवासी आजमपुर
5. ममता पुत्री नन्दा पत्नी परबतसिंह जाति भील नि. आजमपुर नि. जोनपुरा तह. सुनेल
6. नाबालिग राकेशकुमार आ० श्याम संरक्षक सरपरस्त माता संतोषबाई जाति भील नि. आजमपुर
7. रामगोपाल पुत्र नन्दा जाति भील निवासी आजमपुर
8. रामचन्द्र आ० अमरा जाति भील निवासी आजमपुर
9. नाबालिग राहुलकुमार आ० श्याम संरक्षक सरपरस्त माता संतोषबाई जाति भील नि. आजमपुर
10. मृतक- संतोषबाई पत्नी श्यामलाल जाति भील नि. आजमपुर तह रायपुर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहशीलदार रायपुर

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 सा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक -

अभिभाषक वादी - श्री विनोद शर्मा

प्रतिवादी सं. 1 से 10 - एकतरफा


प्रतिवादी सं. 11 - पेरोकार सरकार



निर्णय

दिनांक 27.08.2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादीया उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ग्राम आजमपुर तहशील रायपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 के खाता संख्या 361 की आराजी किता 11 रकबा 3.8192 हे. के संबंध में


उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.07.2025 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं मौके पर कब्जा काशत के आधार पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान काशतकारी (सरकारी) नियमों के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त आराजी का खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये थे उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार रायपुर द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/1042 दिनांक 19.08.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया जिस पर अभिभाषक वादीया की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीया की सहमति के आधार पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अतः इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.07.2025 अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम आजमपुर तहसील रायपुर की जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 361 की आराजी किता 11 रकबा 3.8192 हे. भूमि में तहसीलदार रायपुर से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतः वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

| क्र. | खातेदार का नाम | ख0न0 | रकबा है. | दिशा | |
|-------|---|-------|--|------------|--------|
| 1 | गुड्डीवाई पुत्री अमरा जाति भील नि. आजमपुर | 300/1 | 0.0316 | नक्शानुसार | |
| | | 301/1 | 0.0774 | नक्शानुसार | |
| | | 319/1 | 0.0205 | नक्शानुसार | |
| | | 320/1 | 0.0774 | नक्शानुसार | |
| | | 321/1 | 0.0252 | नक्शानुसार | |
| | | 347/1 | 0.0100 | नक्शानुसार | |
| | | 348/1 | 0.0126 | नक्शानुसार | |
| | | 349/1 | 0.1027 | नक्शानुसार | |
| | | 350/1 | 0.0047 | नक्शानुसार | |
| | | 351/1 | 0.0964 | नक्शानुसार | |
| | | 352/1 | 0.0189 | नक्शानुसार | |
| | | | किता 11 | 0.4774 | |
| | | 2 | बदामवाई पत्नी स्व.नन्दा हि. 954/33418 जाति भील नि. आजमपुर नाबालिग बबलूकुमार पुत्र श्याम हि. 3315/33418 संरक्षक सरपरस्त माता संतोषवाई जाति भील नि. आजमपुर | 300/2 | 0.2213 |
| 301/2 | 0.5423 | | | नक्शानुसार | |
| 319/2 | 0.1439 | | | नक्शानुसार | |
| 320/2 | 0.5423 | | | नक्शानुसार | |
| 321/2 | 0.1771 | | | नक्शानुसार | |

उपखण्ड अधिकारी
पिपरा जिला



| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|--|
| नाबालिग बबलूकुमार पुत्र श्याम हि. 398/33418 संरक्षक राकेशकुमार जाति भील नि. आजमपुर | 347/2 348/2 349/2 | 0.0659 0.0886 0.7193 | नक्शानुसार नक्शानुसार नक्शानुसार |
| मुकेश पुत्र नन्दा हि. 5094/33418 जाति भील नि. आजमपुर | 350/2 351/2 | 0.0332 0.6750 | नक्शानुसार नक्शानुसार |
| राकेशकुमार पि.श्याम हि. 3713/33418 जाति भील नि. आजमपुर | 352/2 | 0.1329 | नक्शानुसार |
| रामगोपाल पुत्र नन्दा हि. 5094/33418 जाति भील नि. आजमपुर | | | |
| नाबालिग राहुलकुमार पि. श्याम 397/33418 संरक्षक राकेशकुमार जाति भील नि. आजमपुर | | | |
| नाबालिग राहुलकुमार पि. श्याम 3315/33418 संरक्षक सरपरस्त माता संतोषबाई जाति भील नि. आजमपुर | | | |
| सरदारबाई पत्नि रामचन्दर हि. 1856/33418 जाति भील नि. आजमपुर | | | |
| सीताराम पि. रामचन्दर हि. 9282/33418 जाति भील नि. आजमपुर | | | |
| | किता 11 | 3.3418 | |

तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।
फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले
न्यायालय में सुनाया गया।



[Signature]
27/08/25
(दिनेश कुमार भीणा, आरएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिल्हा प्रशासनाधीन राज०
पिडावा, जिल्हा राजापूर (राज०)

7

फाईनल डिक्री मुकदमा इबादाई
(ओ० 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिनेश कुमार मीणा आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 105/2023

दायर दिनांक 22.08.2023

उनवान

1. गुड्डीबाई पुत्री अमरा जाति भील नि. आजमपुर तहसील रायपुर

– वादीया

बनाम

1. कलावती पुत्री नन्दा पत्नी द्वारकीलाल जाति भील नि. आजमपुर हाल नि. गरवाडा
2. बदामबाई पत्नी स्व.नन्दा जाति भील निवासी आजमपुर
3. बबलू पुत्र श्याम संरक्षक सरपरस्त माता संतोषबाई जाति भील नि. आजमपुर
4. मुकेश पुत्र नन्दा जाति भील निवासी आजमपुर
5. ममता पुत्री नन्दा पत्नी परबतसिंह जाति भील नि. आजमपुर नि. जोनपुरा तह. सुनेल
6. नाबालिग राकेश कुमार आ० श्याम संरक्षक सरपरस्त माता संतोषबाई जाति भील नि. आजमपुर
7. रामगोपाल पुत्र नन्दा जाति भील निवासी आजमपुर
8. रामचन्द्र आ० अमरा जाति भील निवासी आजमपुर
9. नाबालिग राहुल कुमार आ० श्याम संरक्षक सरपरस्त माता संतोषबाई जाति भील नि. आजमपुर
10. मृतक— संतोषबाई पत्नी श्यामलाल जाति भील नि. आजमपुर तह रायपुर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक –

अभिभाषक वादी – श्री विनोद शर्मा

प्रतिवादी सं. 1 से 10 – एकतरफा

प्रतिवादी सं. 11 – परोकार सरकार

मिनजानित मुदई रूबरूX.....मिनजाबिन

मुदालयह हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि –

Yusuf

उपखण्ड अधिकारी

पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)



इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.07.2025 अनुसार यादीया व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम आजमपुर तहसील रायपुर की जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 381 की आराजी कित्ता 11 रकबा 3.8192 हे. भूमि में तहसीलदार रायपुर से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः यादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

| क्र. | खातेदार का नाम | ख0न0 | रकबा है. | दिशा |
|------|---|-------|-----------|------------|
| 1 | गुडीबाई पुत्री अमरा जाति भील नि. आजमपुर | 300/1 | 0.0316 | नक्शानुसार |
| | | 301/1 | 0.0774 | नक्शानुसार |
| | | 319/1 | 0.0205 | नक्शानुसार |
| | | 320/1 | 0.0774 | नक्शानुसार |
| | | 321/1 | 0.0252 | नक्शानुसार |
| | | 347/1 | 0.0100 | नक्शानुसार |
| | | 348/1 | 0.0126 | नक्शानुसार |
| | | 349/1 | 0.1027 | नक्शानुसार |
| | | 350/1 | 0.0047 | नक्शानुसार |
| | | 351/1 | 0.0964 | नक्शानुसार |
| | | 352/1 | 0.0189 | नक्शानुसार |
| | | | कित्ता 11 | 0.4774 |
| 2 | बदामबाई पत्नी स्व.नन्दा हि. 954/33418 जाति भील नि. आजमपुर नाबालिग बबलूकुमार पुत्र श्याम हि. 3315/33418 संरक्षक सरपरस्त माता संतोषबाई जाति भील नि. आजमपुर नाबालिग बबलूकुमार पुत्र श्याम हि. 398/33418 संरक्षक राकेशकुमार जाति भील नि. आजमपुर मुकेश पुत्र नन्दा हि. 5094/33418 जाति भील नि. आजमपुर राकेशकुमार पि.श्याम हि. 3713/33418 जाति भील नि. आजमपुर रामगोपाल पुत्र नन्दा हि. 5094/33418 जाति भील नि. आजमपुर नाबालिग राहुलकुमार पि. श्याम 397/33418 संरक्षक राकेशकुमार जाति भील नि. आजमपुर नाबालिग राहुलकुमार पि. श्याम 3315/33418 संरक्षक सरपरस्त माता | 300/2 | 0.2213 | नक्शानुसार |
| | | 301/2 | 0.5423 | नक्शानुसार |
| | | 319/2 | 0.1439 | नक्शानुसार |
| | | 320/2 | 0.5423 | नक्शानुसार |
| | | 321/2 | 0.1771 | नक्शानुसार |
| | | 347/2 | 0.0659 | नक्शानुसार |
| | | 348/2 | 0.0886 | नक्शानुसार |
| | | 349/2 | 0.7193 | नक्शानुसार |
| | | 350/2 | 0.0332 | नक्शानुसार |
| | | 351/2 | 0.6750 | नक्शानुसार |
| | | 352/2 | 0.1329 | नक्शानुसार |



✓

उपखण्ड अधिकारी
दिहावा, जिला कतावाड़ (रुद्र०।)



| | | | |
|---|---------|--------|--|
| संतोषबाई जाति भील नि. आजमपुर सरदारबाई पत्नि रामचन्द्र हि. 1856/33418 जाति भील नि. आजमपुर सीताराम पि. रामचन्द्र हि. 9282/33418 जाति भील नि. आजमपुर | | | |
| | किता 11 | 3.3418 | |

तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(Handwritten Signature)
27/08/25

(दिनेश कुमार मीणा, आरएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
पिडावा, जिला झालावाड़ राज०

निजX.....मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमे के सूद व शेरह ...
...X.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।
मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 27.08.2025 को जारी किया गया।

(Handwritten Signature)

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
पिडावा, जिला झालावाड़ राज०

| मुदई | | मुदालयह | |
|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| स्टाम्प अर्जी दावा | खर्चा गवाहान | स्टाम्प अर्जी दावा | फीस कमि नर |
| स्टाम्प वकालत नाम | फीस कमि नर | स्टाम्प अर्जी | बाबत् इजराय हुकमनाम |
| स्टाम्प वजह सबूत | बाबत् इजराय हुकमनाम | महन्ताना वकील | मुत0 |
| महन्ताना वकील | मुत0 | खर्चा गवाहान | |
| मिजान | | | मिजान |

(Handwritten Signature)

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
पिडावा, जिला झालावाड़ राज०

